झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेस विज्ञप्ति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या–53/नि., दि0–27.02.2015 के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप धारा 1 एवं 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में झारखण्ड राज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 प्रारूप को इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर सुझाव आमंत्रित की जाती है। उक्त नियमावली का प्रारूप वेवसाईट jhr.nic.in/lrms पर उपलब्ध है।

उक्त अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा समुचित विचार किया जाएगा।

ऐसे सभी सुझाव निदेशक (भू–अर्जन), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय। निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रोजेक्ट भवन, झारखण्ड, राँची के कार्यालय अथवा e-mail-bhoomijharkhand@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

निदेशक,
भू–अर्जन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
झारखण्ड, राँची।